

I/268444/2023

संख्या- 03/2023/77-1-2022/001-1994

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनु सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ० प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2023

विषय:- उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होलिडिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ० प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29.03.2022 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर को वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के रूप में कंपनी की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होलिडिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या- 08/2022/77-1-2021/001-743-2022 दिनांक 07.06.2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रु०-26,88,000.00 (रु० छब्बीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ० प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के अनुसरण में शासनादेश संख्या- 18/2022/77-1-2022/001-1355-2022 दिनांक 15.09.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रु०-26,88,000.00 (रु० छब्बीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल प्राविधानित धनराशि रु० 1,10,28,000.00 (रु० एक करोड़ दस लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) में से सम्प्रति रु० 56,52,000.00 (रु० छप्पन लाख बावन हजार मात्र) अवशेष है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ० प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के अनुसरण में उक्त अवशेष धनराशि में से तृतीय किश्त के रूप में रु०-26,88,000.00 (रु० छब्बीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) का ऋण दिये जाने

की श्री राज्यपाल महोदया, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उ 0 प्र 0 राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त स्वीकृत धनराशि रु० 26,88,000.00 (रु० छब्बीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ 0 प्र 0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ 0 प्र 0 राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात् इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 14(चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ 0 प्र 0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ 0 प्र 0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
5. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अग्रतर स्वीकृति हेतु कम्पनी द्वारा शासन को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ कंपनी के बैंक स्टेटमेन्ट तथा मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगली किश्त निर्गत की जाएगी।
7. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता

I/268444/2023

प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ 0 प्र 0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

8. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2023 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ 0 प्र 0, प्रयागराज को भेजी जाए।

9. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ 0 प्र 0, कानपुर के लेखा कोषक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।

10. उ 0 प्र 0 राज्य वस्त्र निगम लि 0 कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ 0 प्र 0, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :-

(क) कोषागार का नाम।

(ख) चालान संख्या व दिनांक।

(ग) जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ) लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च) शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ) पिछले जमा का सन्दर्भ।

11. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

13. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

14. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ 0 प्र 0, कानपुर धनराशि से संबंधित ऑकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

15. प्रबन्ध निदेशक, उ 0 प्र 0 राज्य वस्त्र निगम लि 0, कानपुर उक्त बन्द कम्पनी की परिसमापन आदि के संबंध में कार्ययोजना तथा अद्यतन कृत कार्यवाही का विवरण शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,88,000 (रुपये छब्बीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) को

I/268444/2023

चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6860011900300 उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को कर्ज मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-6-143-X-2022-23, दिनांक 24 .01.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव,

उ० प्र० शासन।

संख्या- /2023/77-1-2022/001-1994, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ० प्र०, प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ० प्र०, कानपुर।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आवंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० स्टेट स्पेनिंग कं० लि०, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
6. वित्त अधिकारी, उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ० प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ० प्र० शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनु सचिव,

I/268444/2023

उ० प्र० शासन।

**Signed by रजनी कान्त
पाण्डेय**

Date: 31-01-2023 14:35:09

Reason: Approved